उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

(उ.प्र.सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010
Phone :0522-2307826,28
Fax No :0522-23078595
e- mail:upstatesugarcorporation@gmail.com
Website : www.upsugcorp.in

Toll free : 1800-212-3203
Twitter : https://twitter.com/website
Youtube : https://bit.ly/2kmgpsl
Facebook : www.facebookcom/upcane
Website : www.up.cane.gov.in
CIN of Company : U15421UP1971SGC003393

पत्रांक–पर/एसएससी/52 दिनांक 16.03.2026

Corrigendum
(शुद्धिपत्र)

Bid No.: GEM/2026/B/7295669 Date:26-02-2026

Tender Title: Manpower Outsourcing

शर्त सं.	निविदा प्रपत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्ते	प्रस्तावित संशोधित नियम एवं शर्ते
बिडर की तकनीकी अर्हताएं:– (1)	.जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता कम्पनी को लिए जाने के लिए तकनीकी अर्हता निम्नवत है:– विधिक अस्तित्व (Legal /Entity) रखने वाली कम्पनी एक्ट 1956/2013 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी:–1. प्रोपराइटरशिप फर्म, 2. पार्टनरशिप फर्म, 3. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 4. प्राइवेट लिमिटेड, 5. लिमिटेड कम्पनी आदि अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म। उक्त फर्म जेम पोर्टल पर गुड्स एवं सर्विसेज के रूप में रजिस्टर्ड हो, केवल ऐसी फर्म जिनका कार्यालय उ.प्र.राज्य की सीमा में पंजीकृत स्थापित हों, जेम पोर्टल पर ई–निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होगी। सेवाप्रदाता फर्म को चीनी उद्योग में मैन पावर उपलब्ध कराये जाने का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना	जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता कम्पनी को लिए जाने के लिए तकनीकी अर्हता निम्नवत है:– विधिक अस्तित्व (Legal /Entity) रखने वाली कम्पनी एक्ट 1956/2013 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी:–1. प्रोपराइटरशिप फर्म, 2. पार्टनरशिप फर्म, 3. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 4. प्राइवेट लिमिटेड, 5. लिमिटेड कम्पनी आदि अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म। उक्त फर्म जेम पोर्टल पर गुड्स एवं सर्विसेज के रूप में रजिस्टर्ड हो, केवल ऐसी फर्म जिनका कार्यालय उ.प्र.राज्य की सीमा में पंजीकृत स्थापित हों, जेम पोर्टल पर ई–निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होगी। (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा)

	होगा)	
16	अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी धारा/शर्त का उल्लंघन यदि 03 बार से अधिक होता है तो ऐसी दशा में सेवा प्रदाता को 15 दिवस का नोटिस देते हुए उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।	अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी धारा/शर्त का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में सेवा प्रदाता को 15 दिवस का नोटिस देते हुए उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
अतिरिक्त नियम एवं शर्ते		
Buyer added Bid specific Terms and condition	03 Buyer added Bid specific ATC 7- ISO9001&2025(IAF) with Audit Report,ISO 27001:2022 8- Solvency certificate 1.2 Crore from any nationalized Bank 9- GSTR 3B challan (3 month) 4 EMD is manadatory for all types of Bidder	03 Buyer added Bid specific ATC 7- ISO9001&2025(IAF) with Audit Report,ISO 27001:2022 8- Solvency certificate 1.2 Crore from any nationalized Bank 9- GSTR 3B challan (3 month)

RKS 16.03.2026

(आर. के. श्रीवास्तव)

प्रभारी कार्मिक

जेम पोर्टल पर बिड के नियम, शर्तो एवं अर्हताओं का विवरण निम्नवत है:–

01. अनुबन्ध की प्रस्तावित अवधि 02 (दो) वर्ष (अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर की तिथि से) है। कार्य संतोषजनक होने पर आवश्यकता एवं कार्यहित में उक्त अवधि सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 01–01 वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है।

02. बिडर की तकनीकी अर्हताएं:–
जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता कम्पनी को लिए जाने के लिए तकनीकी अर्हता निम्नवत है:–

(1) विधिक अस्तित्व (Legal /Entity) रखने वाली कम्पनी एक्ट 1956/2013 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी:–1. प्रोपराइटरशिप फर्म, 2. पार्टनरशिप फर्म, 3. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 4. प्राइवेट लिमिटेड, 5. लिमिटेड कम्पनी आदि अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म। उक्त फर्म जेम पोर्टल पर गुड्स एवं सर्विसेज के रूप में रजिस्टर्ड हो, केवल ऐसी फर्म जिनका कार्यालय उ.प्र.राज्य की सीमा में पंजीकृत स्थापित हों, जेम पोर्टल पर ई–निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होगी। सेवाप्रदाता फर्म को चीनी उद्योग में मैन पावर उपलब्ध कराये जाने का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा)

(2) सेवा प्रदाता कम्पनी का भविष्य निधि संलग्न (ई.पी.एफ.ओ.) में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)

(3) सेवाप्रदाता कम्पनी का राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) में पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं कार्मिकों का ई.एस.आई.सी. कार्ड बनवाना सेवा प्रदाता कम्पनी की जिम्मेदारी होगी। (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)

(4) सेवाप्रदाता कम्पनी का श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा) सेवाप्रदाता कम्पनी के पास ऑनलाईन पे–रोल सिस्टम होना अनिवार्य है, ताकि उपलब्ध कराये गये कार्मिक अपने भविष्य निधि एवं ई.एस.आई.सी. आदि के अंशदान की कटौती का विवरण आंनलाइन देख सके, जिसका डेमो **उ.प्र. राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ** द्वारा देखा जायेगा।

(5) सेवाप्रदाता कम्पनी का आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। सेवाप्रदाता कम्पनी द्वारा विगत 03 वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का आयकर रिटर्न दिया जाना अनिवार्य है।

(6) विगत 03 वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में सेवाप्रदाता एजेन्सी का औसत वार्षिक टर्नओवर निविदा वैल्यू का 30 प्रतिशत यथा रू. 1,50,00,000.00 (रू. एक करोड़ पचास लाख मात्र) से कम नहीं होना चाहिए।

औसत टर्नओवर प्रमाण पत्र के लिए सेवाप्रदाता एजेन्सी/कम्पनी द्वारा टर्न ओवर प्रमाण पत्र के साथ विगत 03 वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) की सी.ए. द्वारा ऑडिट बैलेन्सशीट दिया जाना अनिवार्य होगा।

(7) शासनादेश के अनुसार सेवाप्रदाता एजेन्सी के पास विगत 03 वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में सरकारी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में (Gov/PSU/Gov Ltd.) समान श्रेणी कार्मिकों की आपूर्ति के कार्य का अनुभव तथा उस प्रकार के कार्य को करने का अनुमानित कार्य लागत का 80प्रतिशत का 01 कार्यादेश अथवा 50 प्रतिशत के 02 अथवा 40 प्रतिशत के 03 कार्यादेश होना अनिवार्य है। साथ ही निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के साथ कार्यादेश तथा अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। (अनुमानित कार्य लागत का 80 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत का तात्पर्य अनुमोनित बिड वैल्यू का 80प्रतिशत का एक अथवा 50 प्रतिशत के दो अथवा 40 प्रतिशत के 03 कार्यादेश से है।)

(8) सेवा प्रदाता एजेन्सी/कम्पनी को जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(9) जेम पोर्टल पर निविदा हेतु निविदादाताओं को ई.एम.डी. के रूप में निविदा मूल्य का 05 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्टस/आर.टी.जी.एस. की स्कैन प्रति ट्रांजैक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा। आर.टी.जी.एस. हेतु बैंक विवरण निम्नवत हैः–

खाते का नाम	U.P.State Sugar Corporation Ltd.
बैंक का नाम व शाखा	Union Bank of India U.P.Sugar Corporation Lucknow
खाता संख्या	521301011031002
आई.एफ.एस.सी कोड	UBIN0558664

(10) सेवाप्रदाता द्वारा किसी राजकीय या अन्य विभाग में काली सूची में न होने का स्व–घोषित प्रमाण पत्र स्टाम्प पेपर (रू.100/–) पर प्रस्तुत करना होगा।

(11) सूक्ष्म एवं लघु इकाईयॉ जो नियमानुसार पंजीकृत हैं, तथा वे स्टॉटअप इकाईयाँ जो औद्योगिकी नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन्हीं इकाईयों को ई.एम.डी. से छूट दी जायेगी।

(12) जी.एस.टी. के इनपुट को प्राप्त करने के उद्देश्य से आउटसोर्स सेवाप्रदाता फर्म को निगम के द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट (LOI) निर्गत किया जायेगा, जिसमें चीनी निगम, सम्बन्धित इकाई एवं सेवा प्रदाता फर्म सम्मिलित होंगे। इस प्रकार सेवाप्रदाता फर्म को सम्बन्धित इकाईयों को सीधे बिलिंग करना होगा, जिससे सम्बन्धित इकाईयों को जी.एस.टी. का इनपुट क्रेडिट प्राप्त हो सकेगा।

03 महत्वपूर्ण बिन्दुः—

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, अनुभाग—2 उ.प्र. शासन के नवीनतम् शासनादेश संख्या—57 / 18—2—2024—97 (ल.उ.) / 2016 दिनांक 26.11.2024 के प्रस्तर संख्या—43 एवं 44 के अनुसार 05 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य की बिड पर अनुमानित मूल्य का 0.5 प्रतिशत से 05 प्रतिशत तक की ई.एम.डी. के रूप में लिये जाने का प्राविधान है।

उक्त के क्रम में निम्नवत् व्यवस्था की जाती हैः—

क्रम सं.	निविदा मूल्य रूपये में	ई.एम.डी.
1	03 करोड़ से अधिक मूल्य की निविदा	05 प्रतिशत

यहाँ यह स्पष्ट करना है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अनुभाग—2 उ.प्र. शासन के नवीनतम् शासनादेश संख्या—57 / 18—2—2024—97 (ल.उ.) / 2016 दिनांक 26.11.2024 के प्रस्तर संख्या—44 के अनुसार समस्त प्रचलित / नवीन अनुबन्धों में निविदादाता से ली जाने वाली परफारमेंस सिक्योरिटी अर्थात ePBG को क्रय आदेश मूल्य के 03—05 प्रतिशत के मध्य लिया जा सकता है। निविदा के साथ ई.एम.डी. की धनराशि निगम के पक्ष में आर.टी.जी.एस. / डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।

(2) सेवा प्रदाता के सर्विस चार्ज अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए। जिन निविदादाताओं की दरें 3.85 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें अव्यावहारिक माना जायेगा। सर्विस चार्ज की दरें पूर्णांक के साथ दशमलव के अधिकतम दो अंकों तक कोट की जानी चाहिए।

(3) सेवाप्रदाता कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अधिकारी / कर्मचारी की दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) शासनादेश के अनुसार वित्तीय निविदा खोलने के लिए कम से कम 03 फर्मों को न्यूनतम तकनीकी अर्हता पास करना आवश्यक होगा। वित्तीय निविदा खुलने के उपरान्त यदि एक से अधिक सेवाप्रदाता एल—1 आते हैं, तो सिस्टम में उपलब्ध रन एल—1 सेलेक्शन टूल का उपयोग अनिवार्य रूप से करते हुए सिस्टम द्वारा चयनित एल—1 फर्म को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। यदि एक से अधिक बार निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त भी अर्थात दूसरी बार निविदा खोलते समय तीन फर्मों से कम फर्म तकनीकी अर्हता पास करती है ता वित्तीय निविदा खोले जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक के स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

(5) बिड खुलने के उपरान्त सफल एल—1 बिडर को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(6) अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के अधिकतम 07 दिनों के अन्दर सेवाप्रदाता आवश्यक कार्मिक चीनी निगम मुख्यालय / निगमाधीन चीनी मिलों में उपलब्ध करायेगा।

(7) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अनुभाग—2 उ.प्र. शासन के नवीनतम् शासनादेश संख्या—57 / 18—2—2024—97 (ल.उ.) / 2016 दिनांक 26.11.2024 के प्रस्तर—30 के

अनुसार सेवाप्रदाता द्वारा सम्भावित कार्मिक से किसी भी प्रकार की धनराशि लेना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान न करने के सम्बन्ध में क्रेता विभाग को सेवाप्रदाता के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर जेम पोर्टल की Incident management Policy के तहत सेवाप्रदाता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(8) उक्त शासनादेश के अनुसार किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सेवाप्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

(09) उक्त शासनादेश के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त किसी कर्मी को सेवाप्रदाता स्वमेव बदल नहीं सकता। अनुशासनहीनता तथा दण्डनीय अपराध आदि की स्थिति में क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात ही चयनित/कार्यरत कर्मचारियों को सेवाप्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा।

(10) उक्त शासनादेश के अनुसार कार्मिकों को विलम्ब से भुगतान किए जाने की स्थिति में चीनी निगम द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18प्रतिशत ब्याज व पेनाल्टी भी लगायी जायेगी।

(11) उक्त शासनादेश के प्रस्तर–34 के अनुसार अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किए गये पोर्टल से कैन्डीडेट को वरिष्ठता क्रम के अन्तर्गत चयन किए जाने हेतु सेवाप्रदाता एजेन्सी से चीनी निगम द्वारा कार्मिकों की माँग के अनुसार यथा एक कर्मी के लिए पोर्टल से तीन आवेदनकर्ताओं तथा 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मॉग पर दो गुना आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जायेगा।

(12) शासनादेश के प्रस्तर–36 के अनुसार सेवाप्रदाता/कम्पनी द्वारा ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा जी.एस.टी. आदि की कटौती सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एस.एल.ए) के अनुसार की जायेगी।

(13) सेवाप्रदाता/कम्पनी चीनी निगम को कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव का प्रमाण पत्र (बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करेगा जो कि सेवाप्रदाता द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

(14) पूर्व से कार्यरत् कर्मियों के अतिरिक्त नये कर्मियों का पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दायित्व सेवाप्रदाता/कम्पनी का होगा।

(15) कार्य करने का समय व दिनों का निर्धारण उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत होगा।

(16) सेवाप्रदाता/कम्पनी द्वारा लगाये गये कर्मियों की अपेक्षानुरूप कार्यशैली न होने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रतिस्थापित करते हुए तत्काल दक्ष कर्मी को तैनात करना होगा।

(17) सेवाप्रदाता/कम्पनी द्वारा उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ को उपलब्ध कराये गये कर्मियों के सम्बन्ध में कोई चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति या किसी भी प्रकार का चिकित्सा दावा नहीं किया जायेगा।

(18) सेवाप्रदाता की ओर से अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने अथवा गम्भीर अनियमितता की दशा में उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ सेवाप्रदाता को 15 दिन का लिखित नोटिस प्रेषित करते हुए अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।

(19) अनुबन्ध के प्रभावी होने के उपरान्त सेवाप्रदाता /कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों के द्वारा किसी भी नियम/नियमावली का उल्लंघन करने पर उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ किसी भी दशा में जिम्मेदार नहीं होगा। सेवाप्रदाता/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों द्वारा वर्तमान में प्रासंगिक/नियमावली का अनुपालन करना होगा तथा समय–समय पर इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) सेवाप्रदाता/कम्पनी द्वारा अपने पते, प्रबन्धन आदि के परिवर्तन के सम्बन्ध में समय–समय पर यथाशीघ्र उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ को संज्ञानित कराना होगा।

(21) सेवाप्रदाता/कम्पनी को मासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा, यह कान्ट्रैक्ट की अवधि तक लागू रहेगा।

(22) उ.प्र. राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार कर्मियों को अवकाश के दिवस में भी बुलाया जा सकता है। इस हेतु अलग से कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

(23) उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ को सेवाप्रदाता/कम्पनी द्वारा प्रत्येक माह की 14 तारीख तक भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. खातों में अनिवार्य रूप से जमा कर अगले माह के बिल के साथ जमा की रसीद/विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(24) सेवाप्रदाता द्वारा लगाये गये कर्मियों को मासिक पारिश्रमिक भुगतान उनके बैंक खातें में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(25) उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ यह सुनिश्चित करेगा कि सेवाप्रदाता को समाप्त हुए माह के अगले 03 कार्य दिवसों में कार्मिकों की उपस्थिति ई–मेल द्वारा उपलब्ध करा दी जाय। उपस्थित प्राप्त होने के 04 से 06 कार्यदिवस के अन्दर सेवाप्रदाता द्वारा कार्मिकों को उनका पारिश्रमिक अवश्य प्रदान कर दिया जाये तथा प्रत्येक माह की 14 तारीख तक पी.एफ एवं ई.एस.आई. आदि सेवाप्रदाता द्वारा जमा कर दी जाये। उक्त के दृष्टिगत चीनी निगम द्वारा सेवाप्रदाताओं को सम्बन्धित धनराशि का भुगतान 30 कार्यदिवस में अवश्य कर दिया जाये। पारिश्रमिक भुगतान में विलम्ब की स्थिति में (जेम नीति के अनुसार) सेवाप्रदाता के ऊपर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

(26) सेवाप्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि लगाये गये कर्मियों को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नियम व शर्तों के अनुसार कर्मियों के शिड्यूल्ड बैंक खाते में नियमित रूप से किया जाये तथा भुगतान किए गये पारिश्रमिक के लिखित प्रमाण पत्र के साथ उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ को बिल प्रस्तुत करेगा जिसका भुगतान उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(27) उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ के पास किसी भी आफर को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(28) यदि किसी भी दशा में मासिक बिलों का प्रेषण सेवाप्रदाता/कम्पनी के द्वारा भुगतान की तिथि से 15 दिन के बाद किया जाता है तो कर विभाग को ब्याज/दण्ड आदि की देयता सेवाप्रदाता की होगी।

04. प्रतिभूति धनराशि (रिफाण्डेबल):

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अनुभाग–2, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या–17/2021/233–2018–2–2020–97 (ल.उ.)/2016 टी.सी. दिनांक 31.05. 2021 के अनुसार एल–1 बिडर के कार्यादेश निर्गत होने के 01 सप्ताह के अन्दर एल–1 बिडर द्वारा कोट की धनराशि के अनुसार आगणित कुल प्रोजेक्ट वैल्यू का 05 प्रतिशत परफारमेन्स बैंक गारण्टी/एफ.डी.आर. के रूप में उ.प्र. राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ में जमा करनी होगी।

05. पेनाल्टीः

सेवाप्रदाता/कम्पनी के कर्मियों द्वारा किसी भी सेवाशर्तों के उल्लंघन की दशा में पेनाल्टी का प्राविधान होगा(जैसा कि प्रत्येक शर्तों हेतु पेनाल्टी अंक निर्धारित हों) पेनाल्टी लगाने से 03 दिन पहले उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ सेवाप्रदाता/कम्पनी यह सुनिश्चित करेगा तथा सहमत होगा कि उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ द्वारा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में आरोपित पेनाल्टी जब भी देय होगी तब उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ सेवाप्रदाता/कम्पनी को किये जाने वाले भुगतान में से ऐसी धनराशि की कटौती करेगा।

(1) पेनाल्टी राशि किसी भी महीने/अवधि के लिए प्रस्तुत बिल के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) पेनाल्टी लगाये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ में निहित होगा।

(3) उपरोक्त समय सीमा समाप्ति के उपरान्त सेवा शर्तो के उल्लंघन पर निम्न सूची के अनुसार पेनाल्टी आरोपित की जायेगी।

क्रम सं.	सेवा शर्तें	सेवा शर्त का अनुपालन न करने पर पेनाल्टी
1	निर्धारित तिथि तक कुल कर्मियों की तैनाती न होना।	15 दिन तक कुल कीमत का 01प्रतिशत प्रतिदिन, 15 दिन के बाद 10 प्रतिशत अनुबन्ध निरस्तीकरण चार्ज के साथ, अनुबन्ध निरस्तीकरण।
2	यदि कर्मियों को किसी भी चोरी/सामग्री की क्षति के लिए जिम्मेदार पाया जाता है।	चोरी/क्षति हुए सामग्री के वास्तकि मूल्य से 02 गुना मूल्य के बराबर तत्ताल भुगतान। 07 दिन के अन्दर लिए गये निर्णय पर सम्बन्धित कर्मी का प्रतिस्थापन।
3	यदि किसी कर्मी को अवज्ञा/ कदाचार केलिए जिम्मेदार पाया जाता है।	उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि. द्वारा मामले की गम्भीरता केआधार पर 07 दिनों के भीतर तत्काल प्रतिस्थापन।
4	यदि कर्मी बिना पूर्व सूचना के 02 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है।	सेवाप्रदाता/कम्पनी को 07 दिनों के अन्दर ऐसे कर्मी का प्रतिस्थापन देना होगा।
5	यदि कर्मी अनेतिक और गलत ढंग से तृतीय पक्ष याकार्यालय	07 दिनों के अन्दर ऐसे कर्मी का तत्काल प्रतिस्थापन /निरस्तीकरण चार्ज 10 प्रतिशत

	के कर्मचारियों के साथ कार्यालय में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है।	की दर से तथा अनुबन्ध का निरस्तीकरण आचरण की गम्भीरता केआधार पर उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि. द्वारा किया जायेगा।

06. अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी धारा/शर्त का उल्लंघन यदि 03 बार से अधिक होता है तोऐसी दशा में सेवा प्रदाता को 15 दिवस का नोटिस देते हुए उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

07. अनुबन्ध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, अनुभाग–2 उ.प्र. शासन के नवीनतम् शासनादेश संख्या–57/18–2–2024–97 (ल.उ.)/2016 दिनांक 26.11.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

08. Settlement of Disputes

Amicable Settement

1-The parties shall use their best efforts to settle all disputes amicably, arising out of or in connection with the agreement or the interpretation thereof.

2-Dispute Resolution

Any dispute, difference or controversy of whatever nature howsoever arising under or out of or in relation of this agreement (including its interpretation) between the parties and so notified in writing by either party to the other party (the dispute) shall in the frist instance be attempeted tobe resoleved amicable.

Conciaition

In the event of any dispute between the parties either party may call upon Managing Director, U.P. State Sugar Corporation, Lucknow and upon such reference the said person shall meet not later than 10 days, from the date of reference to discus and amicably resolve the dispute. The decision of Managing Director, UPSSCL is final in the event of dispute, if any.

अन्य शर्तें:–

1. आउटसोर्स अनुबन्ध दोनों पक्ष की ओर से 15 दिन की नोटिस अथवा 15 दिन के भुगतान नोटिस पर समाप्त हो सकेगी।
2. यदि आउटसोर्स अभ्यर्थी द्वारा–

(क)फर्जी अभिलेख के आधार पर सेवा प्राप्त किया जायेगा तो उसकी आउटसोर्स नियोजन तत्काल निरस्त कर उसके विरुद्ध आपरोधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ख)आउटसोर्स के स्थान पर सेवा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं सेवा करता पाया जायेगा तो एक पक्षीय रूप से उसकी आउटसोर्स अनुबन्धसमाप्त कर आउटसोर्स अवधि मेंउसके द्वारा जो पारिश्रमिक प्राप्त किया गया होगा, उसकी वसूली की जा सकेगी।

(ग)आउटसोर्स के अनुबन्ध में इन्टिग्रिटी क्लाज के अन्तर्गत, यदि आउटसोर्स कर्मी द्वारा अपने सेवाअवधि में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता की जाती है, जिससे संस्था को हानि होती हैतो ऐसी स्थिति में जाँचोपरान्त संस्था को कारित आर्थिक क्षति की भरपाई आउटसोर्स कर्मी/आउटसोर्स फर्म की सिक्योरिटी की धनराशि से की जा

सकेगी। आर्थिक क्षति कीधनराशि सिक्योरिटी की धनराशिसे अधिक होने पर उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जा सकेगी।

3. आउटसोर्स कर्मी की तैनाती उ.प्र.राज्य चीनी निगम मुख्यालय अथवा निगमाधीन संचालित इकाईयों में कहीं भी की जा सकती है और कार्यअवधि में आवश्यकतानुसार एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरित किया जा सकता है, इसका अधिकार चीनी निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
4. ई.पी.एफ. एवं अन्य वैधानिक कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।
5. आउटसोर्स कर्मी को चीनी निगम के किसी नियमित रिक्त पद पर आमेलन का अधिकार नहीं होगा।
6. समस्त आउटसोर्स कर्मियों द्वारा कार्यस्थल पर कार्य की गोपनीयता का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित आउटसोर्स कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवही अमल में लायी जायेगी।
7. भविष्य में नियुक्ति हेतु चीनी निगम द्वारा विज्ञाप्ति प्रकाशन किए जाने पर कर्मी द्वारा की गयी आउटसोर्स सेवा को किसी प्रकार प्राथमिकता/वरीयता नहीं दी जायेगी। केवल अनुभव की गणना में उसकी उक्त सेवा अवधि को सम्मिलित किया जा सकता है।
8. आउटसोर्स कर्मी द्वारा ई–आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं में जाँचोपरान्त यदि तद्संबंधित मूल अभिलेखों/प्रमाण पत्रों से किसी प्रकार का विचलन/भिन्नता पाये जाने पर आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
9. आउटसोर्स कर्मी/सेवाप्रदाता से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में समस्त निपटारे उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक द्वारा किए जायेगे।
10. उपलब्ध कराये जाने वाले आउटसोर्स कर्मी को प्रत्येक माह में एक अवकाश प्रदान किया जायेगा, अवकाश न लेने की स्थिति में अगले माह वह अवकाश कैरीफारवर्ड (Carry forward) किया जायेगा। वर्ष के अन्त में माह दिसम्बर तक अवशेष संचित अवकाश समाप्त हो जायेगा।
11. आउटसोर्स द्वारा आपूर्ति किए गये कर्मियों का विवरण उनके फोटो, आधार कार्ड, तथा श्रम कानून के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
12. आउटसोर्स कर्मियों की कार्य स्थलों पर बायोमेट्रिक/फेस रिकगनिशन व्यवस्था अनुसार उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी।
13. सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से रखे गये आउटसोर्स कर्मी में अनुभवी एवं तकनीकी दक्ष अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
14. किसी भी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त किए जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ को सुरक्षित होगा।